-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा कम्पनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाला मुख्य आरोपी/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 5,50,000/ रू0 नकद बरामद

- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 25,000/- रूपये का पुरस्कार**

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादिया शाईस्ता परवीन पुत्री मौ0 अकबर निवासी खाताखेडी हयात कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत ऐशियन एन्टरप्राईजेज कम्पनी के मालिक, कम्पनी के कर्मचारी व मकान मालिक द्वारा षडयन्त्र करके फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर कम्पनी बनाना और धोखाधडी करके करीब 10 हजार महिलाओ को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 2400 रु0 प्रति महिला कम्पनी मे सदस्यता के तौर पर जमा करा लेना, महिलाओ को नौकरी न देना और न ही पैसे वापस करना व पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देना और पैसे लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 434/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61/316(2)/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यावाही करते हुए **अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ कुमार शानू उर्फ कन्हैया पुत्र विजय कुमार नि0 ग्राम छोटी चक थाना गोगरी जिला खगडिया (बिहार)** को चुन्हैटी अन्डरपास दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्त के कब्जे से 5,50,000/- रूपये नकद बरामद ।** इससे पूर्व दिनांक 17.08.2024 को अभियुक्त आदर्श कुमार पुत्र विजय कुमार नि0 ग्राम छोटी चक जमालपुर थाना गोगरी जिला खगडिया (बिहार) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। **मुकदमा उपरोक्त में अबतक कुल 10,10,000/- रूपये की बरामदगी हो चुकी है।** गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त दीपक सिंह उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने हाईस्कूल एम.एस.आर. सैनिक स्कूल वर्ष 2016 मे उत्तीर्ण की थी। मेरी माता पूर्व में ब्लाक प्रमुख रह चुकी है व मेरे पिता डाक विभाग में कार्यरत है तथा बताया कि मैने हाईस्कूल करने के बाद पटना में एक कम्पनी में बतौर कर्मचारी कार्य किया था उस कम्पनी में भी लोगो के साथ फ्राड कार्य करने का कार्य किया जाता था। वहाँ से ही मैने यह फ्राड करने का तरीका सीखा था। जिसके बाद मैने वर्ष 2017 व 2018 में डोरान्डा रांची, झारखण्ड मे फ्राड का काम किया था। जिसमें मै करीब 10 दिन रांची जेल मे उसके बाद मैने दरभंगा बिहार में भी फ्राड किया जिसके लिए मै करीब एक हफ्ता दरभंगा जेल मे रहा था। इसके बाद मैने बीकानेर के पास राजस्थान में वर्ष 2022 में फ्राड का काम किया था। जिसमें मै करीब ढाई माह बीकानेर जेल मे रहा था। उसके बाद मैने रायपुर छत्तीसगढ में वर्ष 2023 में अक्टूबर माह के आसपास फ्राड का काम किया था जिसमें मै करीब साढे तीन माह रायपुर सेन्ट्रल जेल मे रहा था व बताया कि बीकानेर व रायपुर जेल मे गलत नाम पते से गया था। क्योकि जब मै पकडा गया था तो मेरे पास दूसरो के नाम के मेरे द्वारा बनाये गये आधार कार्ड बरामद हुये थे जिसमें पुलिस ने मेरा वही नाम पता मानकर मेरा चालान कर दिया था व बताया कि दिनांक 26.5.2024 को मैं सहारनपुर आया था तथा मैने दिनांक 27.05.2024 को एक रिक्शा वाले अपने झांसे में लेकर उसकी आईडी पर सिम ले लिया था। जिसका प्रयोग मैने कम्पनी के कार्य के लिये किया था। इसके बाद मैने एक लडके से 4 सिम और खरीदवाये थे जो कि मुझे रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर मिला था मेरा साथी जो शायद दिल्ली का रहने वाला है, को साथ लेकर दिल्ली रोड पर दुकान किराये पर लेकर ऐशियन एन्टरप्राईजेज नाम की कम्पनी का कार्यालय खोला था। जिसमें हमने महिलाओ के लिये स्कीम चलायी थी। जिसमें मैने साथी को कम्पनी का मालिक बताते हुये मकान मालिक से किरायेनामे का एग्रीमेन्ट

कराया था। मैने ओएलएक्स पर जॉब के लिये ऐड चलाया था। जिस पर करीबन 20 से 25 लोग आफिस मे कार्य के लिये रखे थे जिसमें सैल्स हैड अंकित व कैशियर अली आदि अन्य 10,12 लोग बतोर लैबर रखे गये थे। उक्त कार्य मे मैने ऊन दिल्ली से मंगायी थी तथा महिलाओ को ऊन के गोले देकर छोटे छोटे गोले बनाने के बदले रोजगार देने व पैसे देने के लिये पम्पलेट छपवाये थे। इसके बदले प्रति महिला से 2000 से 2400 रुपये तक रजिस्ट्रेशन के नाम का पैसा लिया जाता था। यह कार्य हमने एक जुलाई 2024 से शुरु किया था तथा नई महिला को लाने वाले को बतौर कमीशन प्रति महिला 400 रुपये दिया जाता था। मैने किराये पर एक कमरा पैरामाऊन्ट दिल्ली रोड पर बतौर 12000 रुपये प्रति माह किराये पर लिया था। तथा बताया कि मेरे गांव का मेरे बचपन का दोस्त आदर्श पुत्र विजय कुमार उम्र करीब 22 वर्ष इस कार्य मे मेरे साथ पार्टनर था और इस काम में हमने सीधी सादी व अनपढ महिला के साथ फ्राड व ठगी करके लाँखो रुपये कमाये थे। हमारा यह काम दिनांक 05.08.2024 तक चला था। मैने अपने मोबाईल फोन आधार प्रिन्ट ऐप अपलोड कर रखा है जिससे मै अलग अलग नाम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कर इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मैने दुकान के किरायेनामे के समय अपना व अपने साथी का फर्जी आधार कार्ड तैयार कर रखा था तथा मैने मकान मालिक को फर्जी आधार कार्ड को असली के रुप मे प्रयोग करते हुये अनुराग के नामा का आधार कार्ड दिया था तथा एक खाता मैने महाराष्ट्र बैंक अम्बाला रोड, सहारनपुर पर दीपक के नाम का फर्जी आधार कार्ड देकर खाता खुलवाया था तथा आज जो आपने मेरे पास से दीपक व रवि व अंजली नाम के आधार कार्ड बरामद किये है इसमें दीपक नाम के अलावा दोनो फर्जी आधार कार्ड है। दीपक नाम का आधार कार्ड मेरी बायोमैट्रिक से बना है। इनमे से मैने कई लाख रुपये अपने दोस्त आदर्श को दिये थे व ढाई लाख रुपये मैने गाजियाबाद मे गौशाला मे दान कर दिये थे। मेरे ऊपर काफी कर्ज हो रखा था कुछ रुपये मैने कर्जदारो को दे दिये है। तथा मेरे पास मे ही एक पत्रकार का भी आफिस था पत्रकार होने के नाते कही यह हमारी उल्टी सीधी खबर ना चला दे। पत्रकार के दबाव बनाने पर मैने इसे करीब दो से ढाई लाख रुपये कई बार में नगद दिये थे। उस पत्रकार की जिम्मेदारी पुरे जिले के पत्रकारो को मैनेज करने की थी। तथा उस पत्रकार के सहयोग के कारण ही हमारा यह कारोबार सही प्रकार से चल पाया था। क्योकिं वह हमारा बहुत सहयोग करता था। यह कार्य हमारे द्वारा करीब एक माह तक किया गया था जिसमें हमें लाखो रुपये बचे थे। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि मैने अपने साथियो के साथ मिलकर सीधी सादी महिलाओ से जो फ्राड किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- दीपक सिंह उर्फ कुमार शानू उर्फ कन्हैया पुत्र विजय कुमार नि0 ग्राम छोटी चक थाना गोगरी जिला खगडिया (बिहार)

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

अभियुक्त दरभंगा, झारखण्ड, राजस्थान, रायपुर व छत्तीसगढ मे जगह जगह से पूर्व मे जेल जा चुक है।

बरामदगी का विवरण-

5,50,000/- रूपये नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री दिनेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 714 नितिन थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 215 सुमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. कम्पयूटर ओपरेटर गोरव तोमर थाना साईबर सैल थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांक: 26/08/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2024 को वादी मौ0 अकरम पुत्र इशहाक निवासी ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरो द्वारा वादी की मो0सा0 स्पलैण्डर पल्स न0 UP-11BZ-6524 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-251/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 29.07.2024 को वादी नदीम पुत्र इमरान निवासी ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP-11-AV-8740 एचएफ डिलक्स रंग लाल काला चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त दोनों घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियक्तगण **1.आर्यन पुत्र पहल सिह निवासी ग्राम तिवाया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 2.निशान्त पुत्र अशोक निवासी ग्राम तिवाया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम मढ से पहले ढमोला नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी चोरी की 02 मोटर साईकिल UP11AV8740 सम्बंधित मु0अ0स0 311/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मोटर साईकिल न0 UP11BZ6524 सम्बंधित मु0अ0स0 251/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 बरामद की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. आर्यन पुत्र पहल सिह निवासी ग्राम तिवाया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. निशान्त पुत्र अशोक निवासी ग्राम तिवाया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0-251/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 311/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुदेशपाल सिह कोतवाली देहात सहारनपुर
4. है0का0 839 कपिल राणा कोतवाली देहात सहारनपुर
5. का0 2255 सोनवीर कोतवाली देहात सहारनपुर
6. का0 1551 अमित कुमार कोतवाली देहात सहारनपुर

दिनांक: 26/08/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा / 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह निवासी ग्राम भायला कला, थाना देवबन्द जिला सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत 05 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से बस सं0 UP11BT4877 मे बैठे छात्रो पर गोलिया चलाने, जिसमे छात्र / चालक के बाल बाल बच जाने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 463/24 धारा 190/191/109 बी0एन0एस0 अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देशन दिये गये। आदेश के अनुपाल मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व मे आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे त्वरित कार्यवाही करते हुए एक वांछित **अभियुक्त विशू उपाध्याय पुत्र रविन्द्र नि0 मौ0 अभिषेक नगर कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को मकबरा पुलिया से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद । गिरफ्तार अभियुक्त वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

विशू उपाध्याय पुत्र रविन्द्र नि0 मौ0 अभिषेक नगर कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. का0 रवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 ऋषभ देशवाल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

दिनांक 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा स्कूटी चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी होण्डा एक्टिवा बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 07.08.2024 को वादी श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी ए-16, श्रीराम विहार नजदीक एसबीआई कालौनी दिल्ली रोड सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की स्कूटी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 478/2024 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान स्कूटी चोरी करने वाला **अभियुक्त अमित पुत्र अजीत निवासी चर्च मिशन कम्पाउन्ड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को मिशन कम्पाउन्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 होण्डा एक्टिवा स्कूटी रंग सफेद न0 UP11 AX 5546 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अमित उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने धूपबत्ती की फैक्ट्री में काम करता हूँ, पैसो के लालच में मैने दो-तीन दिन पहले मिशन कम्पाउन्ड से एक गली के सामने से यह स्कूटी चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित पुत्र अजीत निवासी चर्च मिशन कम्पाउन्ड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी की होण्डा एक्टिवा स्कूटी बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 67 कुलदेव थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.07.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शेखर उर्फ बोबी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी टपरी अड्डा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व प्रमोद पुत्र ओमप्रकाश नि0 उपरोक्त द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करना व मारपीट करना व गाली देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 286/24 धारा 376/323/504/506 बनाम शेखर उर्फ बोबी आदि उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के आरोपी वांछित **अभियुक्त शेखर उर्फ बोबी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी टपरी अड्डा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को टपरी अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

शेखर उर्फ बोबी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी टपरी अड्डा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 गुलाब तिवारी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 917 धर्मवीर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 03 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 19.51 ग्राम अवैध स्मैक व 2720 रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध को रोकथाम व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1.उस्मान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2.सलमान पुत्र यासीन नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर व 3. शहबान पुत्र तासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर** को दाऊदपुरा अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से क्रमशः 05.15 ग्राम, 06.26 ग्राम व 08.10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद । अभियुक्त सलमान के कब्जे से स्मैक बेचकर मिले 720/- रू0 व अभियुक्त शहबान के कब्जे से 2000/ रू0 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0-258/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम तीनों नशे के आदी है और यह स्मैक हम सस्ते दाम मे बाहर से खरीदकर लाते है तथा अपने आस पास के इलाको नशा करने वाले लोगो को बेच देते है जिससे हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती जिससे हम लोग अपनी नशे की जरूरतो और अपने शौक पूरा करते है

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. उस्मान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. सलमान पुत्र यासीन नि0 ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. शहबान पुत्र तासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

05.15 ग्राम स्मैक नाजायज (अभियुक्त उसमान के कब्जे से)
06.26 ग्राम स्मैक नाजायज व 270 रूपये (अभियुक्त सलमान के कब्जे से)
08.10 ग्राम स्मैक नाजायज व 2000/ रूपये (अभियुक्त शहबान के कब्जे से)

अभियुक्त उस्मान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 122/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ----- थाना बेहट
2. मु0अ0सं0 174/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट ---- थाना बेहट
3. मु0अ0सं0 419/23 धारा 332/353 भादवि व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट व 7 सीएलए एक्ट – बेहट
4. मु0अ0सं0 497/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट ------ थाना बेहट

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 45/23 धारा 147/323/427/452/504/506 भादवि ----- थाना बेहट
2. मु0अ0सं0 97/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट ------ बेहट
3. मु0अ0सं0 360/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट ---- बेहट
4. मु0अ0सं0 461/22 धारा 3/5 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0------- बेहट
5. मु0अ0सं0 575/17 धारा 10 जुआ अधि0

अभियुक्त शहबान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 461/22 धारा 3/5 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0------- बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
6. का0 2036 हर्ष तोमर थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
7. का0 1850 मन्जीत सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध को रोकथाम व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.085.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशा तस्कर **अभियुक्त मुकेश पुत्र पहल सिहँ निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को अन्डर पास के नीचे ग्राम सुआखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 245/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

पूछताछ का विवरण- अभि0 से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि मै नशे का आदि हूँ यह शराब मै घूम घूम कर माँग के अनुसार फुटकर में ग्राहकों को बेच देता हूँ जिससे मुझे कुछ मुनाफा हो जाता है और मेरा नशे का खर्च निकल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुकेश पुत्र पहल सिहँ निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

11 बोतल देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा स0पुर
3. का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा स0पुर

दिनांकः 26-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध को रोकथाम व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.085.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशा तस्कर **काका पुत्र नरेश निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम झरोली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 246/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूं और हरियाणा से सस्ती शराब खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास के लोगो को महंगे दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरी नशे की जरूरते भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

काका पुत्र नरेश निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

11 बोतल देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 2517 शिवकुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 26-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध को रोकथाम व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.085.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशा तस्कर **अभियुक्त अजय पुत्र नरेश कश्यप निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को शाहजहाँपुर रेलवे फाटक चिलकाना रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 244/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशे का आदी हूं और हरियाणा से सस्ती शराब खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास के लोगो को महंगे दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है और मेरी नशे की जरूरते भी पूरी हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अजय पुत्र नरेश कश्यप निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

12 बोतल देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिहँ थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 अनुराग कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2423 मनमोहन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2312 राजू थाना सरसावा स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम तथा नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त शहल उर्फ बाबू पुत्र मौ0 हनीफ निवासी तेलियान खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को खेडा अफगान रोड पीर वाले क्रबिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 291/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त शहल उर्फ बाबू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूं और स्मैक पीता हूँ, जिसमें से कुछ स्मैक बेचकर मुनाफा कमा लेता हूं, जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.शहल उर्फ बाबू पुत्र मौ0 हनीफ निवासी तेलियान खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अपराधिक इतिहास का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 291/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 229/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 343/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. का0 2501 प्रताप सिहँ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2122 लोकेश थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. कां0 497 गौरव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ,
6. कां0 2555 राहुल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.24 को वादिया की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्त विकास द्वारा षड़यन्त्र रचकर शादी का झांसा देकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कर अश्वलील फोटो/वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देने व अन्य विपक्षीगण द्वारा वादिया के घर मे घुसकर बदतमीजी कर जान से मारने की धमकी देने तथा जाति सूचक शब्दो का इस्तेमाल कर अपमानित करने के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 313/24 धारा 64(1)/332सी/351(3)/191(2)/61 बीएनएस व 5जी/6 पोक्सो अधि0 व 3/(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 1. विकास पुत्र अख्खन, 2. रितिक पुत्र प्रमोद उर्फ कल्लू, 3.अख्खन पुत्र नामालूम व 4.बबीता पत्नी अख्खन निवासीगण ग्राम सुभरी मेहराब थाना नागल जिला सहारनपुर व दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे दुष्कर्म के वांछित **अभियुक्त विकास पुत्र मदनलाल उर्फ अख्खन नि0 ग्राम सुभरी मेहराब थाना नागल जिला सहारनपुर** को चुन्हैटी अण्डरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विकास पुत्र मदनलाल उर्फ अख्खन नि0 ग्राम सुभरी मेहराब थाना नागल जिला स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. है0का0 584 विकास कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. का0 2380 हरवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1200 नशीली गोलिया बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त इरफान पुत्र दिलशाद नि0 दानिश कलौनी थाना कोतवाल देहात जिला सहारनपुर** को अवैध 1200 नशीली गोलियां सहित गुलदस्ता कलौनी बेहट रोड़ से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 359/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम इरफान उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

अभियुक्त इरफान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ और मजदूरी का काम करता हूँ जिससे मेरी नशे की जरूरते पूरी नही होती है तो एक व्यक्ति जिसका नाम पता मै नही जानता हूँ बेहट रोड़ पर मिला था, उससे मैंने सस्ते दामो में नशीली गोलिया खरीदी थी। जिनको आज मै बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इरफान पुत्र दिलशाद नि0 दानिश कलौनी थाना कोतवाल देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 1200 नशीली गोलिया बरामद

अभियुक्त इरफान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 472/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात, स0पुर
2. मु0अ0स0 302/20 धारा 323/452/498ए/506 भादवि व ¾ दहेज अधि0 व ¾ मुस्लिम विवाद अधि0 थाना को0देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी सिंह को0देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिहं को0देहात सहारनपुर
3. है0का0 207 दिनेश कुमार को0देहात सहारनपुर

दिनांकः 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 28 अध्धे अवैध देशी शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अवैध शराब/नशीले पदार्थो एवं इनकी तस्करी मे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजा पुत्र राजेश उर्फ नीटू निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ईदगाह से आगे नसरूल्लागढ़ रोड पर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 28 अध्धे देशी शराब हरियाणा मार्का के बरामद किये गये बरामदगी के अधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 290/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजा उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै बेचने के लिये शराब ले जा रहा था, शराब बेचकर मुझे कुछ पैसे बच जाते हैं जिनसे मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राजकुमार उर्फ राजा पुत्र राजेश उर्फ नीटू निवासी मौ0 महादेव कस्बा व थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 290/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 350/22 धारा-380 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 28 अध्धे देशी शराब (रसीला माल्टा हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2.उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3.है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4.है0का0 558 संदीप चौहान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 ग्राम स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब/मादक पदार्थो एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.08.24 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **आबिद पुत्र इलियास निवासी पीरवाली मस्जिद खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारानपुर** को खेडा अफगान रोड कृषि विभाग के आफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 292/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त आबिद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशा करने का आदि हूं और स्मैक पीता हूँ, जिसमें से कुछ स्मैक बेचकर मुनाफा कमा लेता हूं, जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आबिद पुत्र इलियास निवासी पीरवाली मस्जिद खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारानपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 292/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 21/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 164/24 धारा 380/411/427/457 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 11 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री राकेश राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

3.है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को मात्र 12 घण्टे में किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनाकं 25.08.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुन्तजीर पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर मु0अ0स0 136/24 धारा 332(सी)/64 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत के मात्र 12 घण्टे के अन्दर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मुन्तजीर पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को कासमपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुन्तजीर पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 958 धीरेन्द्र तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **सुरेन्द्र सिंह पुत्र कीरत सिंह नि0 सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** सम्बन्धित एनबीडब्लू वारण्ट वाद सं0 155/17 धारा 328 भादंवि मा0न्या0 एडीजेसीआर-15 एडिसनल पोक्सो एक्ट स0पुर चालानी थाना रामपुर मनिहारन स0पुर को मसकन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुरेन्द्र सिंह पुत्र कीरत सिंह नि0 सढौली दुलीचन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
2. उ0नि0 आनन्दपाल सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
3. हो0गा0 1548 करण सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।

दिनांक: 26.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये रूपयो में से 1400 रूपये बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 26.08.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगल दास निवासी मिगलानी बिल्डिंग के सामने दयानन्द रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत वादी की डेली की दुकान के गल्ले से 02 अज्ञात चोरो द्वारा 2300 रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 246/2024 धारा- 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ अज्जू पुत्र राजा सिंह निवासी ठेके वाली गली शारदानगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर तथा गौरव उर्फ काका पुत्र सोमपाल उर्फ मामा निवासी शारदानगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को नदीम कालोनी रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के **कब्जे** से चोरी किये गये रूपयों में से क्रमशः 800 व 600 रूपये कुल 1400 रूपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर दोनो अभियुक्तगण अभि0 गौरव उर्फ काका व अजय सिंह उर्फ अज्जू उपरोक्त द्वारा बताया कि हम दोनो ने दिनांक 24.08.2024 को दोपहर 12.56 बजे बजे मिग्लानी बिल्डिंग के सामने कमल डेरी की दुकान के गल्ले से 2300 रूपये चोरी किये थे वह रूपये हम दोनो ने आपस में बांट लिये थे। जिनमें से हमने 700 रूपये खर्च कर दिये थे और 1400 रूपये आज पुलिस ने हमसे बरामद कर लिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अजय सिंह उर्फ अज्जू पुत्र राजा सिंह नि0 ठेके वाली गली शारदानगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. गौरव उर्फ काका पुत्र सोमपाल उर्फ मामा निवासी शारदानगर गली नं0 09 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 1400 रूपये नकद

अभि0 गौरव उर्फ काका उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 338/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2- मु0अ0सं0 298/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 94/2023 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर